**JALAUN POLICE**

## दिनांक –16.01.2025

**श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।**

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप हत्या के अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं 30,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

**प्रकरण प्रथम**– वादी श्री सुभाष सिंह पुत्र विश्राम सिंह निवासी ग्राम निवहना थाना सिरसाकलार जनपद जालौन द्वारा थाना सिरसाकलार में तहरीरी सूचना दी गयी थी कि दिनांक 11.06.2020 को भाई नरेश सिंह अपने पिता विश्राम सिंह को लेकर खेत पर गये थे तथा उनकी हत्या करके शव को जला दिया है। वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 12.06.2020 को थाना सिरसाकलार पर मु0अ0सं0 45/20(वाद संख्या 95/20) धारा 302/201 भादवि बनाम 1- नरेश सिंह पुत्र विश्राम सिंह निवासी ग्राम निवहना थाना सिरसाकलार जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 12.06.2020 को अभियुक्त नरेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 30.08.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 16.01.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त नरेश उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।